



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त इरफान पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी तिलक नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा अवैध हथियार रखने के सम्बन्ध में थाना कोत० उरई में मु०अ०सं० 736/2023 (वाद संख्या- 8981/2023) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 22.11.2023 को मा० न्यायालय सी०जे०एम० उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त इरफान उपरोक्त को दोषी पाते हुये 09 माह का साधारण कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ओ०पी० छागला ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी



कोर्ट पैरोकार कमल सिंह

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice